संख्या- 297 /2024/ 2203 /चार-2024-1803618

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2024

विषय- दिनांक 24 अक्टूबर, 2023 को गोरखपुर में गुरू गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक शोभा यात्रा के दौरान कराये गये कार्यक्रमों पर हुए व्यय की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-988/सं0नि0-15(118)/2023-24, दिनांक 30 जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 24 अक्टूबर, 2023 को गोरखपुर में गुरू गोरखनाथ मन्दिर से रामलीला मैदान तक शोभायात्रा के दौरान कराये गये कार्यक्रमों पर हुए व्यय रू0 4,85,918.00 (रू0 चार लाख पिचासी हजार नौ सौ अट्ठारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-202 /2024/1150/चार-2024- 1803618, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान की गयी है जिसका भुगतान गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजटीय अभाव के कारण नहीं किया जा सका है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-202 /2024/1150/चार-2024- 1803618, दिनांक 29 मार्च, 2023 को निरस्त करते हुए प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 24 अक्टूबर, 2023 को गोरखपुर में गुरू गोरखनाथ मन्दिर से रामलीला मैदान तक शोभायात्रा के दौरान कराये गये कार्यक्रमों पर हुए व्यय रू0 4,85,918.00 (रू0 चार लाख पिचासी हजार नौ सौ अट्ठारह मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदाने करते हैं:-

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(5 उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदो पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(7) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-16-नये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 297 /2024/ 2203 (1) /चार-2024-1803618 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।